



देना बैंक
DENA BANK

(भारत सरकार का उद्यम)

विश्वस्त पारिवारिक बैंक

(A Government of India Enterprise)

Trusted Family Bank

असाधारण सामान्य सभा के लिए सूचना

बुधवार, 23 मार्च 2016, मुंबई

प्रातः 10:30 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Wednesday, 23rd March 2016, Mumbai

10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय:

देना कार्पोरेट सेंटर

सी-10, जी ब्लॉक

बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

दूरभाष: 022 26545035

वेब साईट: www.denabank.com

Head Office:

Dena Corporate Centre

C-10, G Block,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai 400051

Tel: 022 26545035

Website : www.denabank.com



देना बैंक

DENA BANK

विषय सूची

CONTENTS

	पृष्ठ संख्या		Page No.
सूचना.....	3	Notice.....	8
टिप्पणियां.....	4	Notes.....	9
व्याख्यात्मक विवरण.....	6	Explanatory Statement.....	11
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास.....	13	Attendance Slip cum Entry Pass.....	14
प्रॉक्सी फार्म.....	15	Form of Proxy.....	16

असाधारण सामान्य सभा में उपस्थित होने और प्रस्ताव पर मतदान के लिए शेयरधारकों की योग्यता के निर्धारण हेतु अंतिम तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of shareholders to attend the EGM and vote on the Resolution	बुधवार / Wednesday, 16.03.2016
प्रॉक्सी फार्म और प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के संकल्प प्राप्त करने की अन्तिम तिथि Last date for receipt of Proxy Form and resolutions appointing authorized representatives	शुक्रवार / Friday, 18.03.2016
ई-मतदान E-Voting	रविवार/ Sunday, 20.03.2016 (9:00 A.M.) से / to मंगलवार/ Tuesday, 22.03.2016 (5:00 P.M.)
असाधारण सामान्य सभा की तिथि Date and time of EGM	बुधवार / Wednesday, 23.03.2016 10.30 A. M.

निवेशक संपर्क केंद्र,
Investor Relations Centre,
देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, "जी" ब्लॉक
Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.
दूरभाष: (022) 2654 5318 - 5320
Phone : (022) 2654 5318 - 5320
ईमेल: irc@denabank.co.in
Email : irc@denabank.co.in

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट:
Registrar & Share Transfer Agent:
मे. शेयरप्रो सर्विसेज (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड, यूनिट : देना बैंक
M/s Sharepro Services (I) Pvt. Limited, Unit: Dena Bank,
संहिता काम्प्लेक्स, गाला सं. 52-56
Samhita Complex, Gala No. 52-56
बिल्डिंग सं. 13एबी, साकीनाका टेलिफोन एक्सचेंज के पास,
Bldg. No. 13A-B, Near Sakinaka Telephone Exchange,
अंधेरी-कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई 400072.
Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Mumbai 400 072.
दूरभाष. : (022) 67720300, 67720400
Ph. : (022) 67720300, 67720400
ईमेल: sharepro@shareproservices.com
Email : sharepro@shareproservices.com



देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

सूचना

देना बैंक (शेयर एवं बेटकें) विनियम, 2003 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि देना बैंक के शेयरधारकों की असाधारणा सामान्य बैठक **बुधवार, 23 मार्च, 2016 को प्रातः 10.30 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056** में निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी:

सेबी (आई सी डी आर) विनियम, 2009 के विनियमन 76(4) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को निदेशक मंडल / निर्गम समिति द्वारा निर्धारित प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य पर रुपये 65 करोड़ तक, नकद रु.10/- (रुपये दस केवल) के ईक्विटी शेयर सृजित करने, प्रस्ताव करने, निर्गम करने एवं आबंटित करने तथा निम्नलिखित संशोधन विशेष संकल्प के रूप में उपयुक्त पाये जाने पर विचार करने, संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करने हेतु-

यह संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा देना बैंक (शेयर एवं बेटकें) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) तथा / या कोई अन्य प्राधिकारी जिसकी इस संबंध में आवश्यकता हो, के अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार, तथा उक्त अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों तथा उनमें संशोधनों के अनुसार, जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जाए तथा सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (सेबी आई.सी.डी.आर.विनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों की शर्त पर, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतद्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम और/ या इसकी योजनाओं को सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियमन 76 (4) के अनुसार निदेशक मंडल / निर्गम समिति द्वारा निर्धारित किये गए निर्गम मूल्य रु.29.92 प्रति शेयर जिसमें रु.19.92 प्रति शेयर प्रीमियम शामिल है, नकद पर अधिमानी आधार पर रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 2,16,76,267 ईक्विटी शेयर कुल रूपए 65 करोड़ तक दी गई सहमति के अनुसार सृजित करने, प्रस्ताव देने, जारी करने एवं आबंटित करने हेतु बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात उसे "मंडल" कहा गया है, पूंजी निर्गम समिति या ऐसी समिति भी शामिल मानी जाए, जो मंडल ने इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गठित की हो या इसके पश्चात गठित करे) को बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति दी जाए और एतद्वारा दी जाती है."

यह भी संकल्प किया गया है कि निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए संबंधित तिथि 22 फरवरी, 2016 है.

"यह भी संकल्प किया गया है कि मंडल की सहमति के अनुसार, निर्गम, आबंटन तथा उसकी सूचीबद्धता के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / एसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या उक्त प्रकार के अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में किए गए आवश्यक संशोधन स्वीकार करने का अधिकार मंडल को होगा."

"यह भी संकल्प किया गया है कि जारी किये जाने वाले उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा ऐसी घोषणा के लिए तत्समय विद्यमान सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे."

यह भी संकल्प किया गया है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन के लिए मंडल को एतद्वारा अंत तक शेयरधारकों की सहमति या अनुमति लिये बिना ऐसे सभी कार्य करने का प्राधिकार दिया गया है जिसे वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने तथा ऐसे सभी कार्य करने एवं सभी आवश्यक, वांछनीय एवं त्वरित सभी प्रलेखों एवं लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने, जिसे वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित एवं वांछनीय समझे, और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने संकल्प के प्राधिकार द्वारा मंडल को उक्त प्रयोजन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है."

"यह भी संकल्प किया गया है कि मंडल, उपर्युक्त संकल्प को लागू करने हेतु, इसमें उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का प्रत्यायोजन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या बैंक के किसी अन्य अधिकारी का, जिसे वह उचित समझे, करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत है."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते देना बैंक

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार)
कंपनी सचिव

दिनांक : 26 फरवरी, 2016
स्थान : मुंबई



टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

सभा के काम - काज के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का क्रमानुसार व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है:

2. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा तदनुसूची नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का, उसके द्वारा धारित शेयरों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम में हुए किसी संशोधन के कारण, विनियमन अधिनियम, योजना और विनियमों में भी कोई या विद्यमान प्रक्रिया जो सूचना में दी गई है, के किसी भाग में परिवर्तन होता है, तो वह संशोधन प्रभावी होगा।

विनियमन 68 के अनुसार, उपरोक्त की शर्त पर, प्रत्येक शेयरधारक, जो निर्धारित तिथि अर्थात् बुधवार, 16 मार्च, 2016 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को अंतिम तिथि तक उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा का अधिकार होगा।

विनियमों के विनियमन 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं, तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम प्रथम है, वह मतदान के संदर्भ में, एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम प्रथम है, वह ही बैठक में भाग ले सकता है और बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित रहने और मतदान करने का / के पात्र शेयर धारक अपने स्थान पर सभा में किसी अन्य को उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का / की पात्र होगा / होगी और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो देना बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

विनियमन 70(vi) के अनुसार, प्रॉक्सी के लिखत के अनुदानदाता को सभा में व्यक्तिगत रूप में मतदान देने का अधिकार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।

प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से, बैंक को प्रॉक्सी फार्म असाधारण सामान्य सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् कार्यालय समय समाप्त होने से पहले अर्थात् शुक्रवार, 18 मार्च, 2016 को 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (आई.आर.सी, और बी.पी.आर.) / कंपनी सचिव, निवेशक संपर्क केंद्र, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-51 को अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति उक्त बैठक में किसी कंपनी या निगमित निकाय, जो कि बैंक का शेयर धारक है, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा या मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के बारे में पारित संकल्प की प्रतिलिपि, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय में असाधारण सामान्य सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 18 मार्च, 2016 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (आई.आर.सी, बीपीआर.) / कंपनी सचिव, निवेशक संपर्क केंद्र, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-51 के पास जमा नहीं कर दी जाती।

5. उपस्थिति पर्ची - सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, उपस्थिति पर्ची- सह प्रवेश पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि / मुख्तारी उपस्थिति सह प्रवेश पास में "मुख्तारी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें।

6. रिमोट ई-मतदान:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में, आपका बैंक सहर्ष ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराता है ताकि शेयर धारक सूचना में उल्लिखित मर्दानों पर अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकें। बैंक ने ई-मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए ई-वोटिंग एजेसी के रूप में मेसर्स नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड को नियुक्त किया है। ई-मतदान वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामीयों के ई-मतदान की गणना बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित / अंतिम तारीख है। जिन शेयरधारकों के पास बैंक के निर्धारित / अंतिम तिथि को भौतिक या बेकागजी रूप में शेयर है वे अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकते हैं।

मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा, असाधारण सामान्य सभा में उपलब्ध करायी जाएगी और सभा में उपस्थित सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे मतपत्र के माध्यम से सभा में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने असाधारण सामान्य सभा से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर दिया है वह भी असाधारण सामान्य सभा में शामिल हो सकता है, परन्तु वे पुनः अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें:

- क. ई-वोटिंग के लिए इस यू.आर.एल. <https://www.evoting.nsdl.com> को खोलें.
 - ख. लॉगइन विवरण अर्थात यूजर आई. डी. और पासवर्ड प्रविष्ट करें. आपकी यूजर आई.डी. ई.वी.ई.एन. (103840) + फोलियो न. (यदि शेयर कागजीकृत रूप में है)/ डी.पी. आई. डी. + क्लाइंट आई.डी. (यदि शेयर डिमैट रूप में है). यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो, आप लॉगइन के लिए अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.
 - ग. यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप एन.एस.डी.एल. को evoting@nsdl.com पर मेल कर सकते और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
 - घ. सही तरीके से विवरण भरने के बाद, "लॉगिन" पर क्लिक करें.
 - ङ. आई.डी और पासवर्ड भरें और लॉगिन पर क्लिक करें.
 - च. यदि आप पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो पासवर्ड चेंज का मेन्यू आएगा. अपनी इच्छा के अनुसार पासवर्ड बदलें जो कि कम से कम 8 अंकों का/ अक्षरों का या उनका मिश्रण हो. कृपया एन.एस.डी.एल. ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर भावी सभी ई-वोटिंग चक्रों के लिए नए पासवर्ड को नोट करें. आपको सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी और व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए हर संभव सावधानी बरतें.
 - छ. ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा. मतदान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए "ई-वोटिंग" पर क्लिक करें.
 - ज. देना बैंक के ई.वी.ई.एन. (ई-वोटिंग इवेंट संख्या) का चयन करें. ई.वी.ई.एन. के लिए, आप एन.एस.डी.एल. के ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर तब तक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं जब तक कि आप मतदान अवधि के दौरान संकल्प पर मतदान नहीं कर देते.
 - झ. इसके बाद जैसे ही "कास्ट वोट" पेज खुलेगा. आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं.
 - ञ. अपने उम्मीदवार का चयन करके आप अपना मतदान कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करें तथा नया पैनल सामने आने पर "कनफर्म" भी करें.
 - ट. पुष्टि होने के बाद "वोटिंग कास्ट सक्सेसफुल्ला" का संदेश प्रदर्शित होगा.
 - ठ. कृपया नोट करें कि एक बार मतदान किये जाने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता.
 - ड. संस्थागत सदस्यों (अर्थात सदस्यों एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि व्यक्तियों के अलावा) को भी विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / हस्ताक्षरकर्ताओं, जिनको मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर / हस्ताक्षरों के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि सहित की स्कैन की हुई कॉपी (पी.डी.एफ. / जे.पी.जी. फॉर्मेट) संविक्षाकर्ता को ई-मेल snv@sanco.net द्वारा तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर भेजनी है. आप दस्तावेजों को रजिस्टार के ई-मेल आई. डी. sharepro@shareproservices.com पर भी भेज सकते हैं. यदि कोई प्रश्न हो तो आप <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या आप मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के श्री वी.कुमारेसन, उपाध्यक्ष (परिचालन), इकाई: देना बैंक से दुरभाष सं 022-67720300/400 पर संपर्क कर सकते हैं.
 - ढ. भावी संसूचना(ए) भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले यूजर प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. को भी अद्यतन कर सकते हैं.
 - ण. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **20.03.2016 (प्रातः 9.00 बजे) शुरु होगी और 22.03.2016 को (सायं 5 बजे) समाप्त होगी.** इस अवधि के दौरान दिनांक 16.03.2016 अर्थात निर्धारित तिथि को कागजी रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं. तत्पश्चात ई-वोटिंग मॉड्यूल एन.एस.डी.एल. द्वारा मतदान के लिए डिसेबल किया जाएगा. शेयरधारक द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद उक्त शेयरधारक को उसे बदलने या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी.
 - त. शेयरधारकों को मतदान अधिकार कट-ऑफ दिनांक तक बैंक की ई-वोटिंग शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा.
 - थ. कोई व्यक्ति, जिन्होंने कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और निर्दिष्ट तिथि अर्थात 16 मार्च, 2016 तक शेयरधारिता रचाते हैं तो वे evoting@nsdl.co.in को उक्त अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
 - द. तथापि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत हैं, आप अपने मतदान के लिए अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अपना पासवर्ड www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगेट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड" का उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं या इस टोल फ्री न. 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं.
 - ध. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम, कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी विधि से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
- ई-वोटिंग परिणाम बैंक की असाधारण सामान्य सभा में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे. संवीक्षक रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, बैंक की असाधारण सामान्य सभा से दो दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट www.denabank.com और एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट evoting@nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे और एन.एस.ई. / बी.एस.ई. को भी सूचित किए जाएंगे.



व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर इक्विटी शयरों का निर्गमन

क) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य

बेसल III मानदंडों के अनुपालन के साथ ही निरंतर बदलते कारोबार वातावरण में, कारोबार के स्तर में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, विशेषतया बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए, बैंक को तत्काल अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। बैंक के अनुरोध पर, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिमानी आधार पर रुपये 65 करोड़ (इसकी शेयरधारिता बैंक के पूंजी शेयर निर्गम के बाद 14.5% तक सीमित के अधीन) की सीमा तक बैंक की इक्विटी पूंजी के 2,16,76,267 शेयरों की सदस्यता के लिए सहमत हो गए हैं। जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता में वृद्धि के लिए तथा बैंक की सामान्य कारोबार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

ख) इक्विटी शेयरों का प्रस्तावित प्रस्ताव भारतीय जीवन बीमा निगम और / या उसकी विभिन्न योजनाओं के द्वारा अभिदत्त होगा। रुपये 65 करोड़ (प्रीमियम सहित) के दाम पर किए जाने वाला निर्गम भारतीय जीवन बीमा निगम और / या उसकी योजनाओं को किया जाएगा।

ग) निर्गम से पहले और बाद में शेयर धारिता पद्धति (लगभग)

श्रेणी	शेयरों की संख्या (निर्गम पूर्व)	पूंजी का प्रतिशत	शेयरों की संख्या (निर्गम के बाद)	पूंजी का प्रतिशत
भारत सरकार(प्रवर्तक)	41,94,11,263	65.00	41,94,11,263	62.89
भारतीय जीवन बीमा निगम और इसकी विभिन्न योजनाएं	7,50,29,199	11.63	9,67,05,466*	14.50
जनता	15,08,17,522	23.37	15,08,17,522	22.61
कुल	64,52,57,984	100.00	66,69,34,251	100.00

* प्रति शेयर का निर्गम मूल्य ₹ 29.92/-

घ) भारतीय जीवन बीमा निगम को किए जाने वाले निर्गम से, भारत सरकार की शेयरधारिता 51% से कम नहीं होगी, और उनके नियंत्रण पर भी कोई बदलाव नहीं होगा।

ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्व और पश्चात निर्गम (संभावित) शेयरधारिता निम्नानुसार होगी।

आवृत्ति का नाम - भारतीय जीवन बीमा निगम

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व	7,50,29,199	11.63
निर्गम पश्चात	9,67,05,466	14.50

च) सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियमन 70 (4), विनियम 72 (2) अर्थात किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियां का निर्गम करने का प्रतिषेध संबंधित तिथि से छह महीने की अवधि से पूर्व जिसने बैंक के इक्विटी शेयरों को विक्रय कर दिया है लागू नहीं है, के अनुसार, जैसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमा कंपनियों) को निर्गम किया जा रहा है।

छ) जैसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम योग्य संस्थागत खरीदार के रूप में पंजीकृत हैं, निर्गम मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 76 (4) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। निर्गम मूल्य, उस एक मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा जो साप्ताह के उच्चतम औसत और संबंधित तिथि से पिछले दो साप्ताह के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के परिमाण भारित की औसत कीमतों से कम ना हो।

ज) बैंक के इक्विटी शेयर छः माह से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं और तदनुसार, सेबी आई सी डी आर विनियमों के विनियमन 76(3) तथा 78 (5)के प्रावधान लागू नहीं हैं।

झ) सेबी (आई सी डी आर) विनियमों के विनियमन 78 (2) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को निर्गम किए गए सभी शेयर बाजारों द्वारा प्रदान की गई ट्रेडिंग मंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लौकड इन रहेंगे।

ट) निर्गम का मूल्य समय समय पर यथा संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम के लिए लागू विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

ठ) बैंक निर्गम प्रक्रिया सेबी आईसीडीआर विनियमों में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

ड) सांविधिक लेखाकारों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

ण) चूंकि कि बैंक के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियमन 41 के अनुसरण में, यदि उन शेयरों का उनको आनुपातिक आधार पर प्रस्ताव न किया गया हो, तो और प्रतिभूतियों का अनुमोदन शेयरधारकों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

त) जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक सेबी आई सी डी आर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों की कीमत की पुनः गणना कर सकता है।



थ) बैंक यह वचन देता है कि यदि कीमत की पुनः गणना के कारण भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय के अंदर न किया जाए, तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां तब तक लॉकड इन रहेंगी जब तक कि आबंटिती द्वारा उस रकम का भुगतान नहीं किया जाता.

निदेशक मंडल सूचना में उल्लिखित संकल्प के लिए आपके अनुमोदन की संस्तुति करता है.

बैंक का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय इस संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

● **23 मार्च, 2016 को चुनाव प्रक्रिया**

कार्य-सूची की मदो पर विचार विमर्श के बाद, कार्य-सूची की मदों के आधार पर बैंक मतदान प्रक्रिया आरंभ करेगा. मतदान का आयोजन एवं निगरानी इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए संवीक्षकों द्वारा की जाएगी. सामान्य सभा स्थल पर उपस्थित शेयरधारकों/प्रॉक्सी(ओं)/ प्राधिकृत प्रतिनिधी(यों) अपना मतदान, मतदान प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं. तथापि, शेयरधारक जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई-मतदान के माध्यम से कर दिया है उन्हें सभा की मतदान प्रक्रिया में मतदान की अनुमति नहीं होगी. मतदान की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे.

बैंक द्वारा रिमोट ई-मतदान के साथ सभा में हुए मतदान का संकलित परिणाम बैंक की वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही शेयर बाजार को भी सूचित किया जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते देना बैंक

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार)
कंपनी सचिव

दिनांक : 26 फरवरी, 2016

स्थान : मुंबई



देना बँक
DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Dena Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of DENA BANK will be held on **Wednesday, 23rd March 2016 at 10.30 A.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056** to transact the following business:-

To create, offer, issue and allot equity shares to the extent of Rs.65 crore of Rs.10/- (Rupees ten only) for cash at such Issue Price including premium as determined by the Board/ Issue Committee in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to LIC of India and to consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution(s) -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970; Banking Regulation Act, 1949 and Dena Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include Issue Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise Capital by creating, offering, issuing and allotting upto 2,16,76,267 equity shares of face value of Rs.10/- each to Life Insurance Corporation of India and/or to its various schemes, on preferential basis, for cash at Issue Price of Rs.29.92 per share including premium of Rs.19.92 per share and/ or as determined by the Board/ Issue Committee in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating upto Rs.65 Crore.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 22nd February, 2016.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Issue Committee be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors
For DENA BANK

Sd/-
(Amit Kumar)
Company Secretary

Date: 26th February, 2016
Place: Mumbai



NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent** of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. **Wednesday, 16th March, 2016**, shall have one vote for each share held by him/her as on the Cut-off Date.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend and vote in the meeting.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to Assistant General Manager (IRC & BPR) / Company Secretary, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 pm of the Bank on **Friday, 18th March, 2016**.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Assistant General Manager (IRC & BPR) / Company Secretary, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 pm of the Bank on **Friday, 18th March, 2016**.

5. ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

6. REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015; your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed M/s National Securities Depository Limited as e-voting agency to provide the e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Wednesday, 16th March 2016** being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.



The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

- a. Open the following URL for e-voting: <https://www.evoting.nsdl.com>.
- b. Enter the login credentials i.e. user id and Password. Your user ID is EVEN (103840) + Folio No (If shares are held in physical mode) / DP ID + Client ID (If shares are held in demat mode). If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing User ID and Password for Login.
- c. In case you do not have a Password you may write to NSDL on evoting@nsdl.co.in and get your Password.
- d. After entering the details appropriately, click on "LOGIN".
- e. Put User ID and Password and Click on login.
- f. If you are logging in for the first time, Password Change Menu appears. Change the Password of your choice with minimum 8 digits / characters or a combination thereof. Please note the new Password for all the future e-voting cycles offered on NSDL e-voting Platform. It is strongly recommended not to share your Password with any other persons and take utmost care to keep your Password confidential.
- g. Home page of "e-voting" opens. Click on "e-voting" : Active voting cycles.
- h. Select "EVEN (E-voting Event Number)" of DENA BANK. For an EVEN, you can login any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution during the voting period.
- i. Now you are ready for "e-voting" as "Cast Vote" Page opens.
- j. Cast your vote by selecting appropriate option and click "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- k. Upon confirmation, the message "Voting cast successfully" will be displayed.
- l. Kindly note that vote once casted cannot be modified.
- m. Institutional members (i.e. members other than individuals, HUF , NRIs, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG format) of the relevant board resolution / authority letter, etc. together with the attested specimen signature(s) of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through email at : snv@sanco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. You can also forward the documents at the Registrar's e-mail id sharepro@shareproservices.com

In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at "downloads" section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact by email at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. V. Kumaresan, Vice President (Operations), Unit: Dena Bank of M/s Sharepro services (India) Private Ltd. on 022-67720300/400.

- n. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile detail of the folio which may be used for sending future communication.
- o. The remote e-voting period commences on **20.03.2016 (9.00 a.m.) and ends on 22.03.2016 (5.00 p.m.)**. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on 16.03.2016 i.e. the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once a vote is cast by the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.
- p. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.
- q. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 16th March, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- r. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/



Password” option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990

- s. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Results of the e-voting shall be declared on or after the EGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer’s Report shall be placed on the Bank’s website i.e. www.denabank.com and on the website of NSDL i.e. <https://www.evoting.nsdl.com> within two days of the EGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

EXPLANATORY STATEMENT

ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO LIC OF INDIA ON PREFERENTIAL BASIS

a. Objects of the Preferential Issue

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the Basel-III norms, the Bank needs additional capital immediately, particularly for implementation of BASEL-III norms. At the request of the Bank, LIC of India has agreed to subscribe upto 2,16,76,267 equity share of the Bank on preferential basis to the extent of Rs. 65 crore (subject to their holding restricted to 14.5% of the post issue share capital of the Bank). The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

- b. **The proposed offer of equity shares will be subscribed by LIC of India and/or its various schemes. The entire issue to the tune of Rs.65 crore (including premium) will be issued to LIC of India and/or its schemes.**

c. Shareholding Pattern before and after the Issue (approximately)

Category	Number of Shares (Pre Issue)	%age to Capital	Number of shares (Post Issue)	%age to Capital
Government of India (Promoter)	41,94,11,263	65.00	41,94,11,263	62.89
LIC of India & its various schemes	7,50,29,199	11.63	9,67,05,466*	14.50
Other Public	15,08,17,522	23.37	15,08,17,522	22.61
Total	64,52,57,984	100.00	66,69,34,251	100.00

* considering the issue price Rs.29.92/- per share

- d. As the issue is to be made to LIC of India, Government of India shareholding will not fall below 51%, and there would not be any change in control.

e. The Pre and Post issue (likely) shareholding of LIC of India would be as under.

Name of the Allottee – LIC of India

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	7,50,29,199	11.63
Post-issue	9,67,05,466	14.50

- f. As the issue is being made to LIC of India (insurance company) in terms of Regulation 70 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, Regulation 72 (2) of the said Regulations i.e. prohibition of issuing securities to any person who has sold equity shares of the bank during the period of six months prior to the relevant date is not applicable.
- g. As LIC of India is registered as Qualified Institutional Buyer, the Issue Price will be determined in terms of Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations i.e. the Issue Price will be determined at a price which is not less than the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the Equity Shares of the Bank during the two weeks preceding the Relevant Date.
- h. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.
- i. In terms of Regulation 78(2) of SEBI ICDR Regulations, all the shares issued to the LIC of India shall be locked in for a period of one year from the date of Trading Approval to be granted by the Stock Exchanges.



- j. The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.
- k. The Bank will endeavor to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- l. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- m. As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 41 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.
- n. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations where it is required to do so.
- o. The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends for your approval the Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank is concerned or interested in the said resolution.

● **VOTING PROCESS on 23rd March, 2016**

After the agenda item has been discussed, the bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholders/Proxy(ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

**By Order of the Board of Directors
For DENA BANK**

Sd/-
(Amit Kumar)
Company Secretary

Date: 26th February, 2016
Place: Mumbai



देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

उपस्थिति पर्ची - सह -प्रवेश पास

असाधारण सामान्य सभा

दिनांक : बुधवार, 23 मार्च, 2016, प्रातः 10.30 बजे

स्थान : सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, जे.वी.पी.डी स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विले पार्ले(पश्चिम), मुंबई - 400 056

उपस्थिति पर्ची

(सभागृह में प्रवेश करते समय इसे दिया जाए)

नाम (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आई.डी. (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			



देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

असाधारण सामान्य सभा दिनांक : बुधवार, 23 मार्च, 2016, प्रातः 10.30 बजे

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

नाम (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आई.डी. (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए उक्त उपस्थिति-पर्ची, बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर कि तरह यथाविधि हस्ताक्षरित के साथ प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश सत्यापन/जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा. प्रवेश-पत्र - बैलट पेपर पत्र भाग शेयर धारक/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधिको वापस किया जान है, जिससे वह सभा की समाप्ति तक उस अपनेपास रख सके. किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.



Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

**ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Date : Wednesday, 23rd March, 2016 at 10:30 A.M.

Place : Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present			



Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Date : Wednesday, 23rd March, 2016 at 10:30 A.M.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass – Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate attendance slip- cum Entry pass-cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.



देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

फार्म "बी"

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा व हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)		डीपी आईडी संख्या. ग्राहक आईडी संख्या (यदि बेकागजीकृत है)		शेयरों की संख्या	
---	--	--	--	------------------	--

मैं/हम _____ राज्य के _____ जिले में स्थित _____ का / के निवासी देना बैंक का / के शेयरधारक / शेयरधारकों के रूप में एतद्वारा _____ राज्य के _____ जिले में स्थित _____ का/के निवासी श्री/श्रीमती _____ को अथवा उसकी अनुपस्थिति में _____ राज्य के श्री/श्रीमती _____ को **बुधवार, 23 मार्च, 2016, प्रातः 10.30 बजे** सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे वी पी डी स्कीम, कूपर अस्पताल के समीप, विलपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400056 में आयोजित होनेवाली देना बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य सभा और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना मुख्तारी नियुक्त करता हूँ/ करते हैं.

इस पर _____ 2016 के _____ दिन हस्ताक्षर किये.

एक रुपये का
राजस्व टिकट

मुख्तारी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश:

- मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब,
 - व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए.
 - संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्यता रजिस्टर में प्रथम नामित द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके / उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
 - किसी कंपनी निकाय के मामले में, वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो. यह नोट किया जाए कि इस आशय के संकल्प की प्रतिलिपि जिसमें उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि / मुख्तारी को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है संलग्न किया जाए जे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हुआ हो.
- मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए किन्तु जो शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार या एश्यूरेंस के उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी व देना बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए.
- मुख्तारी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों, या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की एक प्रति असाधारण सामान्य सभा की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **शुक्रवार, 18 मार्च, 2016** को अपरान्ह 5.00 बजे अर्थात् कार्य समय की समाप्ति से पहले निवेशक संपर्क केंद्र, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400051 में जमा की जानी चाहिए.
 - कोई भी लिखत मुख्तारी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् मोहर ना लगाई न हो.
 - बैंक में जमा की गई लिखत मुख्तारी **अंतिम मानी जाएगी और उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा.**
 - दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप से प्रदत्त लिखत मुख्तारी के मामले में एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं होगा.
 - जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित असाधारण सामान्य सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो.
 - देना बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.



देना बँक
DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. No. (if Dematerialised)	Folio (if not)	DP ID No. Client ID No. (if Dematerialised)	No. shares	of
-------------------------------	----------------	---	------------	----

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder / shareholders of Dena Bank hereby appoint Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/ Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Dena Bank to be held on **Wednesday, 23rd March, 2016** at 10:30 A.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2016

Revenue Stamp
Re.1/-

Signature of Proxy

Signature of first named / sole shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, \
 - in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Dena Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Dena Bank, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 with the not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5:00 p.m. on **Friday, 18th March, 2016**.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.